संख्या- 12/2021/2274/बयालिस-2021-01(घोषणा)/2021

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2021**

विषय- **16 खेलों में 44 हास्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को मानदेय रू0 1.50 लाख प्रतिमाह पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 340/मा0मु0मं0घो0(छा0प्रशि0)/2021-22, दिनांक 02.09.2021, पत्र संख्या- जी0- 468/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 तथा पत्र संख्या- जी0- 670/मा0मु0मं0घो0(छा0प्रशि0)/2021-22, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल 16 खेलों में 44 हास्टल में प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में 50 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को मानदेय पर रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) प्रतिमाह तक प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किये जाने की सहर्ष स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान करते है :-

प्रदेश में 50 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को मानदेय पर रखे जाने हेतु नीति निर्धारित किये जाने के नीति का प्रारूप

खेल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षक की सेवाएं लेने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाते है :-

'' अन्तर्राष्ट्रीय खेलों यथा ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाली) में प्रतिभाग किया हो, को अर्ह माना जायेगा तथा उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को वरीयता दी जायेगी अथवा पद्मश्री, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचन्द पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा ऐसा प्रशिक्षक जिसने ओलम्पिक गेम्स, विश्वकप/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में सम्मिलित भारतीय टीम को प्रशिक्षण दिया हो, को अर्ह माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- खेल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षक की सेवाएं लेने हेतु चयन के लिए संस्तुति किये जाने हेतु निम्नवत् समिति होगी :-

(1)-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल (जेसी स्थिति हो)	-	अध्यक्ष
(2)-	निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ	-	सदस्य/सचिव
(3)-	उ0प्र0 ओलम्पिक संघ के महासचिव/सम्बन्धित प्रदेशीय क्रीड़ा संघों की महासचिव	-	सदस्य

2- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

3- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों के अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तर- 1 पर वर्णित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

<u>नियुक्ति प्रक्रिया :-</u>

अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों का चयन मानदेय/संविदा के आधार पर किया जायेगा। निदेशक, खेल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित कर प्रस्तर- 1 में गठित समिति के विचारार्थ हेतु निदेशक, खेल/सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति के अनुमोदनोपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों को तैनाती निदेशक, खेल द्वारा आवश्यकतानुसार दी जायेगी।

<u>कर्तव्य एवं दायित्व :-</u>

(1)- तैनाती हेतु चयनित अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्य एवं दायित्वों का सामान्य रूप से निवर्हन किया जायेगा।

(2)- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों द्वारा अपने खेल विधा से सम्बन्धित प्रशिक्षण चार्ट/शिड्यूल तैयार किया जायेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं हेतु निर्धारित मानक आदि के अनुसार आधुनिक एवं तकनीकी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(3)- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों द्वारा अपने खेल विधा में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए यह प्रयास किया जाये कि उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक अर्जित करें।

(4)- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों की तैनाती 03 वर्ष हेतु की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के अन्त में निदेशक, खेल द्वारा इनकी उपलब्धियों, आचरण, व्यवहार, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के दृष्टिगत मूल्यांकन किया जायेगा। उपलब्धि के आधार पर इन्हें बनाये रखने व निकाले जाने का निर्णय निदेशक, खेल द्वारा लिया जायेगा। यह पूर्णतया मानदेय/संविदा के आधार पर रखे जायेंगे। तैनात अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों का भविष्य में विनियमितीकरण हेतु प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(5)- तैनाती के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों के प्रति यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- समय-समय पर अपने प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रतियोगिता व अन्य अवसरों पर आवश्यकता के अनुसार क्रीडाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी का सहयोग प्रदान करेगें।

<u>वेतन :-</u>

उक्त अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों को तैनाती के उपरान्त होने वाले व्यय को 18 प्रशिक्षण मद से वहन किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के क्रीड़ाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी द्वारा उपस्थिति की सूचना माह के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त निदेशक, खेल द्वारा सम्बन्धित जनपद के आहरण-वितरण अधिकारी को बजट आवंटित किया जायेगा तथा आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षकों को नियमानुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही करेगें।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2204-खेलकूद तथा युवा सेवा-104-खेलकूद-18-प्रशिक्षण मद में हुए प्रविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 321/दस-2021, दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 12/2021/2274(1)/बयालिस-2021-तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- नियोजन अनुभाग- 4
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।